
सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सा.का.नि. 36.—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) तथा संशोधन (2023 का 11) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा जिसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के नियम 30सी के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्वारा सहकारी चुनाव प्राधिकरण और सहकारिता मंत्रालय के सहकारी ऑम्बुड्समैन के कार्यालय के मुख्यालय, को 9 वीं मंजिल, टॉवर 'ई', वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली -110029 में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. L-11012/07/2023-L&M]

अमित कुमार रावत, अवर सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and amendment (11 of 2023) and read with rules 30C of the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, the Central Government hereby notifies the headquarters of the office of the Co-operative Election Authority and the Cooperative Ombudsman, Ministry of Co-operation at 9th Floor, Tower 'E', World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029.

[F.No. L-11012/07/2023-L&M]

AMIT KUMAR RAWAT, Under Secy.